न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/60/2021

तौफिक अहमद पुत्र कबीर अहमद जाति मेव निवासी ग्राम खुशपुरी तहसी व थाना नगीना जिला नूँह (हरियाणा)

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन पिकअप बोलेरो एच. आर 74 बी 5999 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 125/21 अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना नगर, भरतपुर।

उपस्थित :—

1. श्री दिलीप कुमार, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 16.02.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 का जरिये मुख्त्यार खास मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन को पुलिस थाना नगर में एफ.आई.आर संख्या 125/2021 धारा आर.बी.एक्ट में झूंठा बंद कर थाने में खडा कर रखा है जबकि प्रार्थी के उक्त वाहन का अवैध रूप से गौवंश का परिवहन नही किया गया है। थाना में खुले में खडा होने से वाहन खराब हो रहा है तथा प्रार्थी को उक्त वाहन की जीवन यापन हेतु आवश्यकता है तथा न्यायालय द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पूर्ण पालना करने को प्रार्थी तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना नगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 का जरिये मुख्त्यार खास मालिक हूं तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। उक्त वाहन का प्रार्थी द्वारा कभी भी गोवंश में प्रयोग नही किया है और ना ही अपराध किया है। वाहन को झूठा मुकदमा दायर कर बंद किया गया है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है, प्रार्थी का जीवनयापन का यही एक साधन है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अवैध परिवहन के लिए किया गया है तथा वाहन अवैध गौवंश परिवहन में लिप्त था, उक्त वाहन में 4 बूढी गाय एवं एक बछिया कुल 5 गौवंश को रस्सियों से निर्दयता पूर्वक ढंग बंधे हुये थे। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अवैध गोवंश की तस्करी एवं अवैध परिवहन करना जघन्य अपराध है जो कि क्षमा किये जाने योग्य नही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर जब्त वाहन वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 में गोवंश में 5 गौवंश जिसमें 04 गाय 01 बछिया को निर्दयता पूर्वक भरकर गौकशी हेतु राजस्थान से हरियाणा ले जा रहे थे। प्रकरण में वाहन स्वामी व अपराध में उपयोग में लिये गये वाहन से अनुसंधान जारी है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन का उपयोग अवैध रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है जो कि गौवंश के प्रति अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है तथा जघन्य अपराध हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त वाहन का उपयोग अवैध गौकशी में संलिप्तता न हो। प्रार्थी भी वाहन का रजिस्टर्ड मालिक नही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 74 बी 5999 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी नगर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर
जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०